तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना–पत्र संख्या 04/2024 बजरंगाराम वगैरह बनाम कसाराम वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

आदेश

दिनांक 09.06.2025

उपस्थिति

1. प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री राणाराम गौड़
2. विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान की राजस्व अपील प्रार्थी अपीलांट द्वारा श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक 05.06.2024 को न्यायालय द्वारा उक्त अपील को विड्रोल खारिज किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता को अपील विड्रोल करने की कोई हिदायत नहीं दी गई थी इसके बावजूद भी अधिवक्ता द्वारा बाले बाले अपील को विड्रोल कर लिया गया जबकि विड्रोल प्रार्थना–पत्र पर किसी भी प्रार्थीगण के हस्ताक्षर नहीं है। जिससे भी साबित होता है कि अपील को विड्रोल करने में प्रार्थीगण की कोई सहमति नहीं थी। उक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए उक्त अपील को इसी स्तर पर पुनः ग्रहण कर उसका गुणावगुण पर न्यायिक निस्तारण करने के आदेश कर सकें। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी की जानकारी में लाये बिा विड्रोल खारिज करवाया गया। प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के मुताबिक प्रकरण में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्याय की मंशा है। प्रार्थना–पत्र का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायाहित में अपीलांट को अपने प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण का अवसर दिया जाना लाजमी है। लिहाजा अपीलांट का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा मूल अपील को पुनः पुराने नंबर 24/2024 पर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास दिनांक 09.06.2025 को सुनाया गया।

9/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर